COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE — COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE — COURT FEE INDIA ५० पैसे 50 PAISE

110

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

/95 पुनर्विलोकन

रिव्यू 14-2/आर/65/95

COURT FEE भारत INDIA चार रुपये FOUR RUPEES

आशाराम पुत्र श्री छिद्दू सिंह
निवासी बोलपुर घेर तहसील
अम्बाह जिला मुरैना (म॰ प्र॰)

. . . . आवेदक

विरुद्ध

म॰प्र॰ शासन व अन्य

. . . . अनावेदकगण

क्रमांक ......
श्री आशाराम प्रार्थी 16.11.95
द्वारा आज दिनांक ......
को प्रस्तुत 16.11.95
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

पुनर्विलोकन ~~आवेदन~~ अन्तर्गत धारा 51 म॰प्र॰ भू॰ राजस्व संहिता 1959 सपठित धारा 32 म॰प्र॰ भू॰ राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 14.11.95 को सदस्य राजस्व मण्डल श्री एस॰एल॰ सुयारी के यहां निगरानी प्रकरण क्रमांक 4-2/आर/60/95 आशाराम पुत्र श्री छिद्दा सिंह विरुद्ध म॰प्र॰ शासन व अन्य में पारित किया गया।

आर/2/12/17

माननीय महोदय,

14-11-95

सेवा में विनम्र निवेदन है कि :

1- यह कि, उपरोक्त लिखित प्रकरण में श्रीमान् के न्यायालय द्वारा जिस आच्छेपित आदेश दिनांक 22.9.94 की ~~प्रति~~ सत्यप्रतिलिपि ~~के आधार पर~~ न पेश किये जाने के आधार पर खारिज किया गया है।

2- यह कि, आवेदक ~~के~~ अम्बाह जिला मुरैना के निवासी होने के कारण प्रकरण में समय पर उपस्थित नहीं हो सका है क्योंकि आवेदक जब राजस्व मण्डल ग्वालियर पेशी हेतु अपने घर से निकला और बस यात्रा करी रास्ते में बस खराब हो जाने के कारण वह न्यायालय में सही समय पर उपस्थित न हो सका ~~और~~ उसके वकील साहब जो न्यायालय में उपस्थित थे इस कारण से प्रस्तुत नहीं की गई और न्यायालय श्रीमान् के द्वारा केवल एक मात्र यह कारण कि अभिभाषक के द्वारा दिनांक 22.9.94 की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है इस कारण निरस्त किया गया है।

.... 2

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू /4–2/आर/65/95 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8.2.17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक आर.एन./4–2/आर/80/95 में पारित आदेश दिनांक 14–11–95 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेष पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पष्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हो । सदस्य	